12.41 hrs.

RE SUPPLY OF INFERIOR QUALI-TY RICE IN DELHI RATION SHOPS

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) Sir. I want to make a submission. Yesterday I put a ques tion to the hon Minister of Food regarding the supply of bad quality of rice in Delhi In his reply, the hon Minister said that he had received the complaints But nothing has been done so far Yesterday I check ed in most of the ration shops and I have found that the same quality of rice is being supplied throughout Delhi It is a very serious matter At least five million people are ad versely affected This quality of rice has been supplied for the last five or six months and not for the last two months Therefore I would request through you the hon Minister of Parliamentary Affairs to convey our feelings to the concerned Minister Otherwise there may be a serious trouble The people will fall sick There was already a meeting in this connection held by the Delhi Women They wanted to gherao the Minister concerned This kind of thing should not be allowed in the Capital I would therefore request through you Sir the Minister of Parliamentary Affairs to convey our feeling to the Minister concerned

THE MINISTER OF PARLIAMEN TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) I will convey this to the Minister concerned

12 43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 (1) Reported cheating of policy Holders by LIC

भी सुभाव बाहूवा (बेंतूल) माननीय घध्यक्ष महोदय, मैं घापकी घनुमति से नियम 377 के घन्तगैत 13 मार्च के नवभारत टाइस्स के एक समाचार की धोर घापका ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा मदन का ध्यान घाइष्ट करता हं। 13 मार्च के नवभारत टाइस्स में

"नागरिको के साथ जीवन बीमा निगम की धोखाधडी" नामक समाचार छपा है। में माननीय मन्नी जी को यह जानकारी देना षाहगा कि जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 के बाद अपनी नीतियों को बदल कर और छदम नीति भ्रपना कर हजारो लाखो बीमा कराने वाले लोगो के साथ भ्रन्याय किया गया है ग्रीर उनके साथ धाखाधडी की गई है 1974 तक जीवन बीमा निगम की यह योजना थी कि यदि कोई बीमा कराने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्षतक म्रापना प्रीमियम जमा करने के बाद पैसा जमा नही भराता है, तो जितनी भी राणि उसने जमा की है. उस में से उसे एक भी पैसा वापस नही मिलेगा । सन् 1974 के ग्रचानक जीवन बीमा निगम न घपनी नीति में परिवर्तन करके इस मवधिको 3 वर्ष से बढा कर 5 वर्ष कर दिया ग्रौर इस शर्त के बदलने की किसी का भी सचना नहीं दी। इसका तात्पर्य यह हमा कि इस नीति के बनने के बाद जिस किसी ने साढे चार वर्ष या पौने पाच वर्ष तक पैमा जमा किया हो झौर उभने बाद वह पैसा जमा करने में बसमर्थ रहा हा, तो उसको उसके ुंडारा जमा किया गया प्रीमियम वापस नही सौटाया जाएगा। इमका तात्पर्य यह हम्रा कि यदि किसी व्यक्ति ने 15 साल **41** 20 हजार रुपये का बीमा करावा हो झौर उस ने तोन चार बच तह 7.500 या 8.000 रुपये जमा किये हो. तो नीति मे परिवर्तन होन के कारण जिसका उसको पता नही है, उसका वह पैसा दब जाएगा। इस तरह से जीवन बीमा निगम को लाखो रुपये का फायदा केवल दिल्ली मे ही हुआ। है और पूरे देश मे तो करोडो रूपयो का फायदा हो सकता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता ह कि क्या सरकार उन बीमा ग्राहको को उनकी रकम वापस करेगी जिन्होने 1974 से पहले बीमा कराया हो झौर लगातार तीन वर्ष तक प्रीमियम भरते रहे है। मैं यह भी जानना चाहता ह कि क्या सरकार उन जीवन बीमा निगम के उच्च प्रधिकारियों के खिलाफ